पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 58/2022

अनवान :

1. रामनिवास पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।

:– वादी

व ना म

1. सतवीर पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
2. राजदीप पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सरजीत बिजारणियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं0 4 के खसरा सं0 101/3 की 0.708है0, खसरा सं0 126 की 1.631है0, खसरा सं0 131 की 1.341है0, खसरा सं0 163/3 की 0.759है0, खसरा सं0 298 की 2.201है0, खसरा सं0 314/1 की 0.164है0, खसरा सं0 315/3 की 0.417है0, खसरा सं0 323/3 की 0.898है0, खसरा सं0 323/4 की 1.075है0, खसरा सं0 323/5 की 0.240है0, खसरा सं0 326 की 1.062है0, खसरा सं0 65 की 0.379है0 कुल खसरा 12 की 10.875है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सतवीर के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 सतवीर का नाम कलमजन किया जाकर वादी रामनिवास, प्रतिवादी सं0 2 राजदीप को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.05.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 58/2022

उनवान :

1. रामनिवास पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।

:– वादी

व ना म

1. सतवीर पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
2. राजदीप पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88-89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सरजीत बिजारणियां : **वादी**

वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 26.05.22**

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं0 4 के खसरा स0 101/3 की 0.708है0, खसरा सं0 126 की 1.631है0, खसरा सं0 131 की 1.341है0. खसरा स0 163/3 की 0.759है0, खसरा सं0 298 की 2.201है0, खसरा सं0 314/1 की 0.164है0. खसरा स0 315/3 की 0.417है0, खसरा सं0 323/3 की 0.898है0, खसरा स0 323/4 की 1.075है0, खसरा सं0 323/5 की 0.240है0, खसरा सं0 326 की 1.062है0. खसरा स0 65 की 0.379है0 कुल खसरा 12 की 10.875है0 बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी सतवीर के नाम खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता अमरसिह की खातदारी हुआ करती थी। उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 सतवीर ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी स 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में रामनिवास पुत्र श्री सतवीर जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा के बयान करवाये गये। दरतावेजी साक्ष्य मे सत्यप्रतिलिपि जगाबदी शिवदानपुरा के संवत 2076–2079 खाता संख्या 4 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जगाबंदी शिवदानपुरा के संवत 2076–2079 खाता संख्या 140/67 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जगाबंदी झिलोंदा के संवत 2076–2079 खाता संख्या 24/107 प्रदर्श 3, जगाबदी पैतृक कृषि भमि शिवदानपुरा संवत 2076–2079 खाता स0 8 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र बाबत शपथ पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने शिवदानपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने दादा के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 5 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 5 में सतवीर के दो पुत्र रामनिवास ओर राजदीप के अलावा वारिस प्रमाण पत्र में अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं0 4 के खसरा सं0 101/3 की 0.708है0, खसरा सं0 126 की 1.631है0, खसरा सं0 131 की 1.341है0, खसरा सं0 163/3 की 0.759है0, खसरा सं0 298 की 2.201है0, खसरा सं0 314/1 की 0.164है0, खसरा सं0 315/3 की 0.417है0, खसरा सं0 323/3 की 0.898है0, खसरा सं0 323/4 की 1.075है0, खसरा सं0 323/5 की 0.240है0, खसरा सं0 326 की 1.062है0, खसरा सं0 65 की 0.379है0 कुल खसरा 12 की 10.875है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सतवीर के नाम खातेदारी दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 सतवीर का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं0 4 के खसरा सं0 101/3 की 0.708है0, खसरा सं0 126 की 1.631है0, खसरा सं0 131 की 1.341है0, खसरा सं0 163/3 की 0.759है0, खसरा सं0 298 की 2.201है0, खसरा सं0 314/1 की 0.164है0, खसरा सं0 315/3 की 0.417है0, खसरा सं0 323/3 की 0.898है0, खसरा सं0 323/4 की 1.075है0, खसरा सं0 323/5 की 0.240है0, खसरा सं0 326 की 1.062है0, खसरा सं0 65 की 0.379है0 कुल खसरा 12 की 10.875है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सतवीर के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 सतवीर का नाम कलमजन किया जाकर वादी रामनिवास, प्रतिवादी सं0 2 राजदीप को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner